28.06.2023 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सं. 1 श्री सुनिल गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, (विक्रेता मालिक) मैसर्स –पवन जनरल स्टोर, जयपुर रोड़, चला, तहसील नीमकाथाना व अप्रार्थी सं. 2 श्री नन्द सिंह शेखावत पुत्र श्री मूल सिंह शेखावत (निर्माता) मैसर्स –बी एन एस मसाला, प्लॉट नं. 76, शिव नगर, कालवाड़ रोड़, माचवा, जयपुर–1 उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 03.12.2022 को समय 02:30 पी.एम. पर गस्त दौरान मैसर्स – पवन जनरल स्टोर, जयपुर रोड़, चला, नीमकाथाना पर निरीक्षण के लिए पंहुचा। निरक्षण के दौरान विक्रेता श्री सुनिल गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, आम जनता को खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम बेच रहे थे। वहां पर विक्रेता को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछने पर स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ मौके पर वर्ष 2022 का खाद्य रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, आधारकार्ड की छायाप्रति व मैसर्स–बीएनएस मसाला जयुपर के बिल/जीएसटी इनवोइस की छायाप्रति पेश कि।

मैसर्स पवन जनरल स्टोर पर उपस्थित विक्रेता सुनिल गुप्ता द्वारा खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम बेच रहे थे। मैसर्स पर उपलब्ध 15 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम आम जनता को विक्रय वास्ते रखा हुआ पाया गया में मिलावट की शंका पर वास्ते जांच नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमुना जांच हेतु 4 पोली पैक्ड थैली प्रत्येक 500 ग्राम लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता सुनिल गुप्ता को 500 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–3257 खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप** पाया गया। मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (Santush Masala) पोली पैक्ड 500 ग्राम का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी सं. 1 सुनिल गुप्ता (विक्रेता मालिक) को 20,000 रू व अप्रार्थी सं. 2 नन्द सिंह शेखावत (निर्माता) को 50,000 के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर [illegible] अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.0[illegible] सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:06:06 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)